



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 731]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 13, 2006/आषाढ़ 22, 1928

No. 731]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 13, 2006/ASADHA 22, 1928

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2006

का.आ. 1088(अ).— भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.114(अ) दिनांक 19 फरवरी, 1991 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के द्वारा तटीय क्षेत्र को तटीय विनियमन क्षेत्र के रूप में घोषित किया था और उक्त क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित करने और उनके विस्तार, प्रचालन और प्रक्रियाओं पर निर्बंधन अधिरोपित किए गए थे,

और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संघशासित क्षेत्र के अण्डमान निकोबार प्रशासन द्वारा उक्त राज्य क्षेत्र के तटीय विनियमन क्षेत्र में बालू के खनन पर उपर्युक्त अधिसूचना द्वारा लगाए गए निर्बंधनों के और द्वीप समूह में वैकल्पिक निर्माण सामग्री उपलब्ध न होने के कारण उक्त क्षेत्र के स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सामनाकी जा रही कठिनाइयों की ओर केंद्रीय सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था।

और, भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा इस मुद्दे की जांच की गई है, और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना में संशोधन किया जाना चाहिए;

और, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप नियम (4) में यह उपबंध है कि उप नियम (3) में किसी बात के होते हुए भी जब कभी केंद्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है तो वह उक्त नियमों के उप नियम 5 के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति दे सकेगी;

और, केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना में संशोधन हेतु उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खण्ड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः अब केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में

(क) पैरा 2 के उप पैरा (ix) के दूसरे परन्तुक के लिए निम्नलिखित परन्तुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

"बशर्ते कि अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह के संघ शासित क्षेत्र में निर्माण कार्यों के लिए मामला दर मामला आधार पर अण्डमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल द्वारा गठित समिति, जिसमें (1) मुख्य सचिव, अण्डमान निकोबार प्रशासन; (2) सचिव, पर्यावरण विभाग (3) सचिव, जल संसाधन विभाग और (4) सचिव, अण्डमान लोक निर्माण विभाग शामिल होंगे, द्वारा बालू खनन की अनुमति दी जा सकती है :

इसके अतिरिक्त 31 मार्च, 2007 तक खनन की जाने वाली कुल बालू की मात्रा 22581 घन मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और यह कि बालू खनन केवल सागर प्रबंधन संस्थान, चैन्नई द्वारा संवर्धी क्षेत्रों के रूप अभिनिर्धारित किए गए क्षेत्रों में किया जाना चाहिए और यह बालू के पुनर्भरण या जमाव की दर पर आधारित होना चाहिए;

परन्तु यह और कि इस उप पैरा के अधीन बालू के खनन हेतु प्रदान की गई अनुमति खनन योजनाओं पर आधारित होनी चाहिए और संवेदी तटीय पारि प्रणाली, जिसमें प्रवालभित्ति या कछुए, मगरमच्छ, पक्षी घोंसलें स्थल और संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं, को हानि से बचाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय निर्धारित किए जाने चाहिए ।

इसके अतिरिक्त, यह कि अण्डमान निकोबार प्रशासन एक वर्ष अर्थात् 31 मार्च, 2007 तक वैकल्पिक निर्माण सामग्री को अभिनिर्धारित करेगा,

इसके अतिरिक्त, खनन कार्यों और संघ शासित प्रशासन द्वारा किए गए पर्यावरणीय उपायों की निगरानी के लिए एक निगरानी समिति गठित की जानी चाहिए । निगरानी समिति में संघ शासित प्रशासन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर और अण्डमान निकोबार के एक गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि शामिल होंगे । तिमाही निगरानी रिपोर्ट पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजी जाएगी ।"

(ख) तटीय विनियम क्षेत्र iv अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह शीर्ष के अधीन अनुबंध-1 में मद (iv) की उप मद (ख) में 31 दिसम्बर, 2005 अंकों, और शब्दों के स्थान 31 मार्च 2007 अंक अक्षर और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[फा. सं. जैड-12011/2/96आई ए-III]

आर. चन्द्रमोहन, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: प्रमुख अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ. 114(अ) दिनांक 19 फरवरी, 1991 द्वारा प्रकाशित की गई थी और बाद में निम्नलिखित के तहत संशोधित की गई :—

- i. का.आ. 595(अ), दिनांक 18 अगस्त, 1994
- ii. का.आ. 73(अ), दिनांक 31 जनवरी, 1997
- iii. का.आ. 494(अ), दिनांक 9 जुलाई, 1997
- iv. का.आ. 334(अ), दिनांक 20 अप्रैल, 1998
- v. का.आ. 873(अ), दिनांक 30 सितम्बर, 1998
- vi. का.आ. 1122(अ), दिनांक 29 दिसम्बर, 1998
- vii. का.आ. 988(अ), दिनांक 29 सितम्बर, 1999
- viii. का.आ. 730(अ), दिनांक 4 अगस्त, 2000

- ix का.आ. 900(अ), दिनांक 29 सितम्बर, 2000
- x का.आ. 329(अ), दिनांक 12 अप्रैल, 2001
- xi का.आ. 988(अ), दिनांक 3 अक्टूबर, 2001
- xii का.आ. 550(अ), दिनांक 21 मई, 2002
- xiii का.आ. 1100(अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2002
- xiv का.आ. 52(अ), दिनांक 16 जनवरी, 2003
- xv का.आ. 460(अ), दिनांक 22 अप्रैल, 2003
- xvi का.आ. 635(अ), दिनांक 30 मई, 2003
- xvii का.आ. 636(अ), दिनांक 30 मई, 2003
- xviii का.आ. 563(अ), दिनांक 24 जून, 2003
- xix का.आ. 838(अ), दिनांक 24 जुलाई, 2003
- xx का.आ. 86(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2005

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2006

S.O. 1088(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 114(E) dated 19th February, 1991 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government declared coastal stretches as Coastal Regulation Zone and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said Zone;

And whereas the Andaman and Nicobar Administration of the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands has drawn the attention of the Central Government to the difficulties being faced by the local population of the said Territory due to lack of alternative construction materials available in the islands and the restrictions imposed by the aforesaid notification on mining of sand in the Coastal Regulation Zone in the said Territory;

And whereas the issue has been examined by the Government of India in the Ministry of Environment and Forests;

And whereas the Central Government is of the opinion that the said notification should be amended;

And whereas sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that notwithstanding anything contained in sub-rule (3), wherever it appears to the Central Government that it is in public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule 5 of the aforesaid rules;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is in public interest to dispense with the said requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the aforesaid rules for amending the said notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rules (3) and (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification, namely:-

In the said notification,

- (a) in paragraph 2, in sub-paragraph (ix), for the second proviso, the following provisos shall be substituted namely:-

“Provided that in the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands, mining of sand may be permitted for construction purpose on a case to case basis by a committee constituted by the Lieutenant Governor of the Andaman and Nicobar Islands consisting of – (1) the Chief Secretary Andaman and Nicobar Administration; (2) Secretary, Department of Environment; (3) Secretary, Department of Water Resources; and (4) Secretary, Andaman Public Works Department:

Provided further that the total quantity of sand to be mined shall not exceed 22,581 cubic metres for the period ending on the 31st day of March, 2007 and that sand mining shall be undertaken only in those areas identified as accreting areas by Institute for Ocean Management (IOM), Chennai and based on rate of replenishment or deposition of sand;

Provided also that the permission as may be granted under this sub-paragraph for mining of sand shall be based on mining plans and shall stipulate sufficient safeguards to prevent damage to the sensitive coastal eco-system including corals, turtles, crocodiles, birds nesting sites and protected areas.

Provided further that the Andaman and Nicobar Administration shall identify alternate construction materials within the period of one year i.e., upto 31st March, 2007.

Provided further that a monitoring Committee shall be constituted for monitoring the mining activity and the environmental safeguards taken, by the Union Territory Administration. The monitoring Committee shall comprise of representatives from Union Territory Administration, Regional Office of the Ministry of Environment and Forests, Bhubaneshwar and a NGO based at Andaman and Nicobar. The monitoring report shall be sent quarterly to Ministry of Environment and Forests.”

- (b) in Annexure-I, under the heading “CRZ-IV Andaman and Nicobar,” in item (iv) in sub-item (b), for the figures, letters and words “31st day of December, 2005.” the figure, letters and words “31st day of March, 2007” shall be substituted.

[F. No. Z-12011/2/96-IA.III]
R. CHANDRAMOHAN, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India *vide* number S.O.114(E) dated the 19th February, 1991 and subsequently amended *vide* notifications:-

- | | |
|--|---|
| 1. S.O. 595 (E) dated 18 th August, 1994 | 11. S.O. No.988 (E) dated 3 RD October, 2001 |
| 2. S.O. 73 (E) dated 31 st January, 1997 | 12. S.O. No.550 (E) dated 21 st May, 2002 |
| 3. S.O. 494 (E) dated 9 th July, 1997 | 13. S.O.1100 (E) dated 19 th October, 2002 |
| 4. S.O. 334 (E) dated 20 th April, 1998 | 14. S.O. 52 (E) dated 16 th January, 2003 |
| 5. S.O. 873 (E) dated 30 th September, 1998 | 15. S.O. 460 (E) dated 22 nd April, 2003 |
| 6. S.O. 1122 (E) dated 29 th December, 1998 | 16. S.O. 635 (E) dated 30 th MAY, 2003 |
| 7. S.O. 998 (E) dated 29 th September, 1999 | 17. S.O.636 (E) dated 30 th May, 2003 |
| 8. S.O. 730 (E) dated 4 th August, 2000 | 18. S.O.563 (E) dated 24 th June, 2003 |
| 9. S.O. 900 (E) dated 29 th September, 2000 | 19. S.O.838 (E) dated 24 th July, 2003 |
| 10. S.O.329 (E) dated 12 th April, 2001 | 20. S.O.86 (E) dated 25 th January, 2005. |